निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 59/23
दायरा दिनांक :– 03.07.2023
निर्णय दिनांक :– 23/5/2026

उनवान

1. भवानीशंकर आयु 50 वर्ष पुत्र सीताराम
2. श्यामलाल आयु 53 वर्ष पुत्र सीताराम जातिगण किराड निवासीगण ग्राम नियाना तहसील बारां जिला बारां राज0

प्रार्थीगण–

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र रामनाथ
2. सूरजमल पुत्र रामनाथ
3. पाना बाई पुत्री रामनाथ (मृतक)

3/1 नवल पांचाल पुत्र हरिबल्लभ निवासी मेरमाचाह तह0 अटरू

4. बजरंगलाल पुत्र रामनाथ (मृतक)

4/1 कस्तूरी बाई पत्नी बजंरगलाल (मृतक)
4/2 राजेन्द्र पुत्र बजरंगलाल (मृतक)
4/3 कांति बाई पुत्री बजंरगलाल
4/4 रामप्यारी पुत्री बजरंगलाल
4/5 विमला पुत्री बजरंगलाल
4/6 मंजू पुत्री बजंरगलाल जातिगण लुहार निवासी सेठजी के गली कोयला तहसील बारां

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक : 23/5/2026

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री शेलेष मेहता एड0 – प्रार्थीगण
2. श्री रमेन्द्र सिंह हाडा एड0 –अप्रार्थीगण

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 390 पुराना 373 खसरा नं0 483 रकबा 4.35 हेक्टर कुल 1 किता कुल रकबा 4.35 हेक्टर वाके ग्राम माल कोटडी सून्डा पटवार हल्का

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

कोटडी सून्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे दर्ज है। जो वाद पत्र विषय वस्तु है। वाद की मद नं0 1 में अंकित आराजियात पर वादीगण ही निरन्तर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में काबिज काश्त है तथा वादीगण के खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात के उत्तरी ओर प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 4/1 ता 4/6 के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 475 रकबा 5.62 हेक्टर वाके ग्राम कोटडी सून्डा तहसील बारां जिला बारां राज० मे स्थित है। वादीगण के खाते की आराजी के पश्चिमी कोने से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सरकारी आम रास्ते खसरा नं0 476 तक प्रतिवादी कम 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 4/1 ता 4/6 के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 475 में होकर वादीगण अपने खातेदारी की आराजियात कों काश्त करते चले आ रहे है क्योकि वादीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 483 के पश्चिम कोने से खसरा नं0 475 मे होकर सरकारी आम रास्ते खसरा नं0 476 तक मेड पड़ी हुयी है। जो मेर करीबन 20 फिट चोडी है तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजियात मे पडी हुयी मेर का रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग कर वादीगण अपने खातेदारी की आराजियात को काबिज काश्त करते चले आ रहे है जिसको करीबन 20 साल हो चुके है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने खातेदारी के मध्य आराजी में पड़ी हुयी मेड रास्ते हाक कर बाढ झाड करके अवरूद्व कर दिया तथा उक्त रास्ते के अलावा वादी के खातेदारी की आराजियात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा इसी रास्ते से वादी अपने काश्तकारी के साधन ट्रेक्टर थ्रेसर बक्खर शिड्रील ट्रोली लाता ले जाता था तथा वादीगण अपने खातेदारी उक्त वर्णित आराजियात तक पहुचने के लिये इसी रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करके काश्त करता चला आ रहा था। वादीगण के खातेदारी की आराजियात पर जाने वाले उक्त मेड करीबन 20 फिट को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.7.2022 को मेड रास्ते की आराजी को बाड झाड करके अवरूद्ध कर दिया गया है इस कारण वादीगण के खेत पर आने जाने का रास्ता बिल्कुल बन्द हो गया है तथा प्रतिवादी को उक्त रास्ता का बन्द करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 28.7.2022 को उक्त रास्ते को रास्ता खुलासा रखने की कहने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा वादी को धमकी दी कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है यदि कोई इस रास्ते जगह से निकलेगा तो प्रतिवादीगण उसे जान से खत्म कर देगे, यदि प्रतिवादीगण से उक्त रास्ता मेड को खुलासा नही करवाया गया तो वादीगण के खातेदारी व हिस्से की उपरोक्त आराजी पडत रह जावेगी। जिससे वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते बन्द करने पर वादीगण द्वारा पुलिस थाना सदर बारां, श्रीमान तहसीलदार साहब बारां एवं एस०डी०ओ० साहब व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां को भी शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है। इसलिये यह वाद पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। वाद कारण दिनांक 28.07.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन ताकत के बल मेर रास्ते को बन्द करने व मना करने पर लडाई झगडा क़रने पर आमादा होने पर बमुकाम–ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

कोटडी सूण्डा तहसील बारां में पैदा हुआ और वर्तमान में भी पैदा हो रहा है। उक्त वर्णित आरोजियात वाके ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां मे स्थित है तथा पक्षकारान भी वही निवास करते है इसलिये प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की निर्णय व डिकी सादिर फरमायी जावें। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 483 के पश्चिम कोने से खसरा नं0 475 में होकर सरकारी आम रास्ते खसरा नं0 476 तक मेड करीबन 20 फिट चोडे रास्ते पर से प्रतिवादीगण अतिक्रमण हटवा कर रास्ते को अविलम्ब खुलासा करने का आदेश फरमाया जावें तथा प्रतिवादी को पाबन्द किया जावें कि भविष्य मे उक्त रास्ते पर स्वयं या अपने प्रतिनिधि से अतिक्रमण नही करावे तथा वादीगण को उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग शांतिपूर्वक करने देवें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को प्रतिवादी से दिलवायी जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गयां। अप्रार्थी क्रम 01 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी कम 3/1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी क्रम 2, 3/1, 4/2, ता 4/6 की ओर से श्री रमेन्द्र सिंह हाडा एड0 का वकालत नामा व साथ ही जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडीसूण्डा सम्वत 2071–2074, खाता संख्या नया 390, पुराना 373, नकल नक्शा जमाबन्दी ग्राम कोटडीसूण्डा खाता संख्या नया 390, पुराना 373, खसरा नं0 483, नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडीसूण्डा सम्वत 2071–2074, खाता संख्या नया 211, पुराना 206, आधार कार्ड श्यामलाल, आधार कार्ड भवानीशंकर, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थीगण का कथन है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 390 पुराना 373 खसरा नं0 483 रकबा 4.35 हेक्टर कुल 1 किता कुल रक़बा 4.35 हेक्टर वाके ग्राम माल कोटडी सून्डा पटवार हल्का कोटडी सून्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण के खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात के उत्तरी ओर प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 4/1 ता 4/6 के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 475 रकबा 5.62 हेक्टर वाके ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां जिला बारां राज० मे स्थित हैं। वादीगण के खाते की आराजी के पश्चिमी कोने से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सरकारी आम रास्ते खसरा नं0 476 तक प्रतिवादी कम 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 4/1 ता 4/6 के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 475 में होकर वादीगण अपने खातेदारी की आराजियात कों काश्त करते चले आ रहे है क्योकि वादीगण के खातेदारी की आराजी खसरा

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

नं0 483 के पश्चिम कोने से खसरा नं0 475 मे होकर सरकारी आम रास्ते खसरा नं0 476 तक मेड पड़ी हुयी है। प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजियात मे पडी हुयी मेर का रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग कर वादीगण अपने खातेदारी की आराजियात को काबिज काश्त करते चले आ रहे है। जिसको करीबन 20 साल हो चुके है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने खातेदारी के मध्य आराजी में पड़ी हुयी मेड रास्ते हाक कर बाढ झाड करके अवरूद्व कर दिया तथा उक्त रास्ते के अलावा वादी के खातेदारी की आराजियात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा इसी रास्ते से वादी अपने काश्तकारी के साधन ट्रेक्टर थ्रेसर बक्खर शिड्रील ट्रोली लाता ले जाता था तथा वादीगण अपने खातेदारी उक्त वर्णित आराजियात तक पहुचने के लिये इसी रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करके काश्त करता चला आ रहा था। अतः निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय फरमाया जावें कि वाद पत्र में वर्णित वादीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 483 के पश्चिम कोने से खसरा नं0 475 में होकर सरकारी आम रास्ते खसरा नं0 476 तक मेड करीबन 20 फिट चोडे रास्ते पर से प्रतिवादीगण अतिक्रमण हटवा कर रास्ते को अविलम्ब खुलासा करने का आदेश फरमाया जावें तथा प्रतिवादी को पाबन्द किया जावें कि भविष्य मे उक्त रास्ते पर स्वयं या अपने प्रतिनिधि से अतिक्रमण नही करावे तथा वादीगण को उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग शांतिपूर्वक करने देवें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को प्रतिवादी से दिलवायी जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण कम 2 व 4/2 ता 4/6 सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील अप्रार्थीगण का कथन है। प्रतिवादी क्रम 4/2 के पिता एवं 4/3, 4/4, /4/5, 4/6, के पिता बजरंग लांल की मृत्यु हो चुकी है। बजरंगलाल के दो भाई सुरजमल बंशीलाल है। खसरा नं0 475 की आराजी मैं तीन हिस्से हो रहे है। जिसमें एक हिस्सा सुरजमल का बीच वाला हिस्सा बजरंगलाल का जो वर्तमान में बजरंगलाल के वारिसान के पास है। तथा एक हिस्सा बंशीलाल के हिस्से में है। इस प्रकार बजरंगलाल के वारिसान एवं सुरजमल एवं बंशीलाल अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। कि खसरा नं0 483 की आराजी पूर्व में गोबरीलाल माली निवासी कोयला की थी। उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके लडके के नाम दर्ज हो गयी तथा धनश्याम से वादीगण ने खसरा नं0 483 की आराजी खरीद की ली पूर्व में गोबरीलाल एवं धनश्याम खसरा नं0 477 व बंशीलाल के हिस्से वाली आराजी के मध्य मेड पर होकर अपने खेत पर आते जाते थें। लेकिन वादीगण ने उक्त आराजी खरीदने के बाद जबरन बजरंगलाल के हिस्से वाली आराजी में निकलना शुरू कर दिया जिसमें बजरंगलाल वाले की हिस्से की फसल का काफी नुकसान होता है। तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा है। इस बाबत बजरंगलाल के वारिसान ने थाना बारां सदर में उनको पाबन्द करवाने हेतु दिनांक 20.07.2022 को शिकायत की थी जिस पर वादीगण को

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

पाबन्द किया गया था लेकिन फिर भी वादीगण जबरन बजंरगलाल के वाले हिस्से में से निकलना चाहते है। तथा फसल को नुकसान पहूँचाते है जबकि वादीगण वहा होकर निकलने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। क्योकि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.03.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार की है। जिसमें भी यह उल्लेख किया है कि वहा से वादीगण जबरन निकलने का प्रयास करते है। वहॉ पर कोई सरकारी रास्ता राजस्व रिकार्ड में नही है। लेकिन वादीगण जबरन ताकत के बल पर निकलने का प्रयास करते है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादीगण के हिस्से वाली आराजी मे से कितना रास्ता कायम करने की प्रार्थना नही की है। बल्कि अपनी प्रार्थना में यह लिखा है कि सरकारी आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाया जावें और रास्ता खुलासा करवाया जावें जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट में मौके पर राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। तो अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। इस प्रकार वाद धारा 251 आर0 टी0 एक्ट के तहत चलने योग्य नही है। तथा खारिज होने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम कोटडीसूण्डा के खाता संख्या 390 खसरा संख्या 483 रकबा 4.35 हे0, खातेदार भवानीशंकर, श्यामलाल पुत्रान सीताराम जाति किराड सा0 नियाना के दर्ज रिकार्ड है। जिस पर कृषि कार्य करने के साधन लाने ले जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा मुताबिक राजस्व नक्शा खसरा नं0 476 रकबा 0.89 हे0 किस्म गैर मुम रास्ता से सटी हुई अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 475 रकबा 5.62 हे0, की पश्चिमी दिशा से प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 483 रकबा 4.35 हे0, उत्तर–पश्चिम कोने तक चाहा गया है जो कि अप्रार्थीगण की आराजी के पश्चिमी हिस्से के मध्य से होकर गुजरता है। मौके पर उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि वादीगण का रास्ता हमारे खेत से होकर नही निकलता है और हम हमारी खातेदारी भूमि से रास्ता नही देना चाहते है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं0 483 पर पहूँचने हेतु रिकार्डेड रास्ता नही है न ही अन्य कोई वैकल्पिक तथा समीपस्थ रास्ता दर्ज रिकार्ड नही है। जहॉ से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकें। मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति अनुसार प्रार्थीगण का रास्ता दिये जाने हेतु खसरा नं0 476 किस्म गै0मु0 रास्ता के पश्चिमी हिस्से की मेड से प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 483 तक अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 475 के पश्चिमी हिस्से के मध्य से दिया जा सकता है जिसमें अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 56×4=224 मी0 अर्थात 0.0224 हे0, भूमि आती है। परन्तु अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नं0 475 दो भागों में विभाजित हो जायेंगा। दुसरा विकल्प यह है कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 475 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे खसरा नं0 476 किस्म गैर0मु0 रास्ते से प्रार्थीगण की आराजी 483 के उत्तरी–पूर्वी कोने तक दिया जा सकता है जिसमें अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 156×4=624 मी0 अर्थात 0.0624 हे0, भूति आती है। तहसीलदार, बारां की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 475 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे खसरा नं0 476 किस्म

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

गैर0मु0 रास्ते से प्रार्थीगण की आराजी 483 के उत्तरी–पूर्वी कोने तक रास्ता दिया जाना उचित बताया गया है। अतः तहसीलदार, रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 483 के उत्तरी–पूर्वी कोने तक खसरा नम्बर 476 किस्म गै0मु0रास्ता से अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम कोटडीसूण्डा तह0 बारां की आराजी खसरा नम्बर 475 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे 20 फुट रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण की विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडीसूण्डा तहसील बारां की आराजियात में खसरा नं0 475 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे मेड पर होकर 20 फुट का रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने जाने का कायम किया जाता है। उक्त रास्ते में दी गयी भूमि के बदले प्रार्थी को वर्तमान डीएलसी दर से दोगुना राशि का भुगतान हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराया जावें। तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से प्राप्त राशि का भुगतान अप्रार्थी को किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बारॉं